Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 13-12-2005

Participants : Mohale Shri Punnulal

>

Title : Need to restore SCs/STs seats in the ongoing delimitation of Lok Sabha and Vidhan Sabha constituencies in Chhattisgarh.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस राज्य में परिसीमन किया जा रहा है जो वर्ा 2001 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। इस परिसीमन में अनुसूचित जातियों की जन्मदर कम बतायी गई है और सामान्य दर भी कम बताई गई cè[RB70]। 350 गांवों को वीरान बताया गया है। जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी हुई है, इसके कारण लोक सभा में अनुसूचित जाति औऱ जनजाति की एक सीट की कमी हुई है और विधान सभा में अनुसूचित जाति की पांच सीटों की कमी हुई है। इस तरह से सीटों की कमी होने के कारण वहां की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में भारी आक्रोश और असंतोा व्याप्त है। सरकार संवेदनशील है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वर्ा 2000 में मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन हुआ तथा दो अन्य राज्य उत्तरांचल और झारखंड का पुनर्गठन हुआ। जब वर्ा 2000 में इन तीनों राज्यों का पुनर्गठन हुआ और सीमांकन का कार्य वर्ा 2005 में हुआ, जबकि सीमांकन का कार्य दस वर्ाों में होना था, लेकिन वह पांच वर्ाों में हो गया। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You put your demand.

… (*Interruptions*)

श्री पुन्नू लाल मोहले : मैं कहना चाहूंगा कि विधान सभा की 90 सीटें हैं और उन 90 सीटों में से 34 सीटें आदि वासियों की है। उसमें से पांच सीटें विधान सभा की कम हो गईं। लोक सभा में अनुसूचित जाति की दो सीटें थी, उनमें से एक सीट कम हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में या तो परिसीमन को रोका जाए या परिसीमन पांच वर्ाों के बाद यानी पूरे दस वर्ाों में किया जाए। हमने प्रधान मंत्री जी, महामहिम राट्रपति जी, उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री को इसकी जांच करने का आदेश देने के लिए निवेदन किया है और कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी और धांधली की गई है, इसकी जांच करने का आदेश दिया जाए या जांच पूरी होने तक इसे रोका जाए। छत्तीसगढ़ राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, उसमे जितनी सीटें अनुसूचित जाति को मिली थीं, उन्हें यथावत रखते हुए परिसीमन किया जाए। यह मांग हम केन्द्र सरकार से करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वह हमारी मांग पर ध्यान दे, केन्द्र सरकार परिसीमन को रोके या यथावत परिसीमन कराये।